उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-1

संख्या-5/2018/2002/37-1-2017-3(40)/2011टी0सी0-1

लखनऊ: दिनॉक: 01 जनवरी, 2018

<u>कार्यालय-आदेश</u>

डा0 डी0के0गुप्ता, तत्कालीन पशु चिकित्साधिकारी, ललितपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त को बुन्देलखण्ड पैकेज योजनान्तर्गत क्रय किये जाने वाली बकरियों की क्रय समिति के सदस्य के रूप में जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने के संबंध में कार्यालय आदेश संख्या-1204/37-1-2013-3(40)/2011टी0सी0-1, दिनांक 22.04.2013 द्वारा निलम्बित करते हुये कार्यालय आदेश संख्या-1205/37-1-2013-3(40)/2011टी0सी0-1, दिनांक 22.04.2013 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया। कार्यालय आदेश संख्या-2297/37-1-2014-3(40)/2011टी0सी0-1, दिनांक 30.06.2014 द्वारा डा0 डी0के0 गुप्ता को परिनिन्दा का दण्ड देते हुये सेवा में बहाल किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में डा0 डी0के0 गुप्ता द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 11-9-2017 द्वारा उन्हें दिये गये परिनिन्दा दण्ड को समाप्त किये जाने एवं निलम्बन अवधि के अवशेष वेतन/भत्तों को दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- डा0 डी0के0 गुप्ता द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 11-9-2017 एवं अन्य संगत अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरांत श्री राज्यपाल, डा0 डी0के0गुप्ता, तत्कालीन पशु चिकित्साधिकारी, ललितपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त को कार्यालय आदेश संख्या-2297/37-1-2014-3(40)/2011टी0सी0-1, दिनांक 30.06.2014 द्वारा प्रदत्त परिनिन्दा शास्ति को समाप्त करते हुये निलम्बन अवधि में उन्हें पूर्ण वेतन/भत्ते दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

डा0 सुधीर एम0 बोबडे

प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-5/2018/2002(1)/37-1-2017, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2) संयुक्त निदेशक, प्रशासन, पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3) वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4) अपर निदेशक, ग्रेड-2 झांसी मण्डल, झांसी द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग
5) मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, ललितपुर द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग ।
6) डा0 डी0के0गुप्ता, तत्कालीन पशु चिकित्साधिकारी, ललितपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग।
7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सत्येन्द्र कुमार सिंह

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com